उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-82/2020/261प्र0स0/92-2-2020-101एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 07 जुलाई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बलिया में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-यूपी-1059 के अधीन हल्दी बयासी पान्टून ब्रिज से जबही दीयर तक मार्ग के वर्ष 2013 की वर्षाकाल में आई बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग को बिना किसी देखभाल (**Unattended**) के छोड दिये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अजय सिंघल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-बलिया सम्प्रति अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परि0-मेरठ को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्धशासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-05/2020/103/92-2-20-101एम/2019 दि0 10-01-2020 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-201/ ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-बलिया/2019-20 दिनांक 22-06-2020 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त कोई आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10-01-2020 द्वारा श्री अजय सिंघल, तत्क0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-बलिया सम्प्रति अधीक्षण अभियंता परि0-मेरठ के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-82/2020/261प्र0स0(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री अजय सिंघल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-बलिया सम्प्रति अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परि0-मेरठ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in